कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 325/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 19.08.2026**

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

साइबर ठगी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार, 02 मोबाइल फोन, ईयरबड व ₹4,020 नगद बरामद

₹6.75 लाख की साइबर ठगी करने वाला शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 01 ईयरबड व ₹4,020 नगद बरामद

चोरी किए गए मोबाइल की सिम से लिंक बैंक खातों का यूपीआई बनाकर ज्वेलरी शॉप, मॉल व अन्य दुकानों पर करता था ठगी

पूर्व की घटना-

वादी श्री सुफियान अंसारी पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी पलिया, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा मोबाइल फोन गुम होने तथा दिनांक 10.11.2025 से 30.12.2025 के मध्य उनके खाते से कुल ₹6,75,476/- की धोखाधड़ी कर निकासी किए जाने के संबंध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 18/26 धारा 318(4) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मो0 अफराज अहमद पुत्र मो0 मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम पहाड़पुर, पोस्ट देवेनचक, थाना मेहरमा, जनपद गोड्डा, झारखण्ड, का विवेचना के दौरान अभियुक्त उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। तकनीकी साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर अभियुक्त को समय लगभग 10:20 बजे, थाना परिसर से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 01 अदद JBL WAVE BEAM 2 ईयरबड तथा ₹4,020/- नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों के मोबाइल चोरी करते थे। चोरी किए गए मोबाइल में लगी सिम से लिंक बैंक खातों का यूपीआई बनाकर ज्वेलरी शॉप, मॉल एवं अन्य दुकानों पर खरीदारी तथा लेन-देन करते थे। इसके बाद दुकानदारों के माध्यम से रकम को नगद प्राप्त कर आपस में बांट लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मो0 अफराज अहमद पुत्र मो0 मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम पहाड़पुर, पोस्ट देवेनचक, थाना मेहरमा, जनपद गोड्डा, झारखण्ड। उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 18/26 धारा 318(4), 317(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 राजकुमार सिंह, उ0नि0 रजत सिंह, का0 एजाज खान, का0 सभाजीत मौर्य, का0 संजय कुमार, का0 महिपाल यादव, थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ एवं का0 आलोक सिंह, सर्विलांस सेल आजमगढ़।

थाना–बरदह, जनपद आजमगढ़

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01अभियुक्त आलोक प्रजापति गिरफ्तार

थाना बरदह पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को त्रिवेणी मोड़ से अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 18.08.2026 को थाना बरदह पुलिस द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर अभियुक्तगण हेमन्त राय पुत्र रमेश राय उर्फ गोपाल राय निवासी ग्राम बरदह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ एवं आलोक प्रजापति पुत्र चन्दू प्रजापति निवासी ग्राम पुरनपुर, थाना केराकत, जनपद जौनपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 286/26 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 19.08.2026 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आलोक प्रजापति पुत्र चन्दू प्रजापति निवासी ग्राम पुरनपुर, थाना केराकत, जनपद जौनपुर को समय करीब 09:30 बजे त्रिवेणी मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आलोक प्रजापति पुत्र चन्दू प्रजापति निवासी ग्राम पुरनपुर, थाना केराकत, जनपद जौनपुर। उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 335/25 धारा 103(1)/3(5)/351(3) बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 286/26 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, हे0का0 कमलेश सैनी, का0 वेदब्यास तिवारी, म0आ0 अंकिता सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

जान से मारने की नीयत से महिला पर फावड़े से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना देवगांव पुलिस ने वांछित अभियुक्त रवि यादव को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद फावड़ा बरामद

घटना का विवरण

दिनांक 18.08.2026 को वादी दिलीप यादव पुत्र अवध नारायण यादव निवासी ग्राम चकिया भगवानपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षी द्वारा उसके खेत में जबरदस्ती पानी बहाया जा रहा था। वादी की मां चन्दा द्वारा मना करने पर विपक्षी रवि यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी चकिया भगवानपुर, थाना देवगांव द्वारा जान से मारने की नीयत से फावड़े से उसके सिर पर प्रहार कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 296/2026 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.08.2026 को उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय प्रभारी चौकी लालगंज मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रवि यादव को समय करीब 10:00 बजे रेतवाचन्द्रभानपुर तिराहे से 50 मीटर पहले से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण- अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **01 अदद फावड़ा** बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रवि यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी चकिया भगवानपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़। उम्र लगभग 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 296/2026 धारा 109(1) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय, प्रभारी चौकी लालगंज, हे0का0 जितेन्द्र, का0 अवधेश कुशवाहा एवं का0 अमन तिवारी, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास-

वादी मुकदमा थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 16.08.2026 को उनकी नाबालिग पुत्री को एक बाल अपचारी, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर, बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। काफी खोजबीन के बाद भी पता न चलने पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 238/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के आदेश के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व तथा थानाध्यक्ष रौनापार के निर्देशन में उ0नि0 चन्द्रदेव यादव मय हमराह द्वारा आज दिनांक 19.08.2026 को मुकदमा उपरोक्त में नामित बाल अपचारी थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को ग्राम बघावर तिराहे से समय करीब 10:45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभिरक्षा में लिए जाने की सूचना बाल अपचारी के परिजनों को दी गई तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए बाल अपचारी को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 238/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 चन्द्रदेव यादव, उ0नि0 सुमित सिंह एवं का0 जयप्रकाश वर्मा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के 02 मामलों में कुल ₹72,000/- की धनराशि वापस कराई गई

डिजिटल अरेस्ट एवं गिरफ्तारी का भय दिखाकर साइबर फ्रॉड किए गए ₹40,000/- व ₹32,000/- सहित कुल ₹72,000/- पीड़ितों के खातों में वापस कराए गए।

थाना निजामाबाद साइबर टीम द्वारा 1930 पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कोर्ट आर्डर के माध्यम से दोनों मामलों में फ्रॉड की शत-प्रतिशत धनराशि वापस कराई गई।

घटना का विवरण-

☐ **आवेदिका प्रीती चौहान** पुत्री जय सिंह चौहान, निवासी ग्राम बारीखास, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 03.03.2026 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत संख्या 33103260049951 दर्ज कराई गई थी। फ्रॉडस्टर द्वारा उनके बड़े पापा को गिरफ्तार करने का भय दिखाकर ₹40,000/- का साइबर फ्रॉड किया गया था। NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्रॉड की सम्पूर्ण धनराशि ₹40,000/- संबंधित खाते में होल्ड कराई गई।

☐ **आवेदिका एरम** पत्नी नदीम अहमद, निवासी कस्बा निजामाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 04.04.2026 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत संख्या 33104260074431 दर्ज कराई गई थी। फ्रॉडस्टर द्वारा डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ₹32,000/- का साइबर फ्रॉड किया गया था। NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्रॉड की सम्पूर्ण धनराशि ₹32,000/- संबंधित खाते में होल्ड कराई गई।

कार्यवाही-

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर थाना निजामाबाद की साइबर टीम प्रभारी उ0नि0 दिलीप आनन्द, का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह एवं म0आ0 रेनू देवी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायालय के आदेश के माध्यम से दोनों आवेदिकाओं के खातों में साइबर फ्रॉड की कुल ₹72,000/- धनराशि वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर दोनों आवेदिकाओं द्वारा आजमगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

हत्या/हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह गिरफ्तार।

थाना अतरौलिया पुलिस ने वांछित अभियुक्त को ग्राम सेल्हरापट्टी अंडरपास से हिरासत में लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना अतरौलिया का HS-13B है तथा उसके विरुद्ध हत्या, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 19.08.2026 को थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे की लिखित तहरीर पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 325/26 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह एवं संजीव पाण्डेय उर्फ संजू पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर हत्या/हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित किए जाने का उल्लेख है। अभियुक्त अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह गैंगलीडर है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.08.2026 को व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व0 सीताराम सिंह निवासी ग्राम नाउपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष को ग्राम सेल्हरापट्टी अंडरपास से समय 13:55 बजे हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 325/26 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना अतरौलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व0 सीताराम सिंह निवासी ग्राम नाउपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 40 वर्ष (HS-13B)।

पूर्व का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 163/25 धारा 105/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना अतरौलिया।
2. मु0अ0सं0 437/08 धारा 302/504 भादवि, थाना अतरौलिया।
3. मु0अ0सं0 438/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अतरौलिया।
4. मु0अ0सं0 329/22 धारा 323/504/506 भादवि, थाना अतरौलिया।
5. मु0अ0सं0 74/09 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना अतरौलिया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह, का0 सौरभ राय एवं का0 विजय प्रताप यादव, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।